राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप.1(1)नविवि / 3 / 1977   जयपुर,दिनांक 19/07/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना क्रमांकः प.1(109)नविवि / 3 / 1977 दिनांक 02.08.2011 के द्वारा बून्दी के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2033 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर परिषद, बून्दी द्वारा जोनल डवलपमेन्ट के संबंध में लिए गए निर्णय के क्रम में बून्दी मास्टर प्लान–2033 में निम्नानुसर संशोधन किया जाता हैः–

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा द्वारा किए गए तकनीकी परीक्षण एवं नगर परिषद बूंदी की बोर्ड बैठक दिनाक 01.02.2022 के लिए गए प्रस्ताव /निर्णय अनुसार मानचित्रों की सीट संख्या 11, 12ए, 12 बी में दर्शाए / प्रस्ताव अनुसार विद्यमान / प्रस्तावित सड़कों में संशोधन किया जाता है।
2. सुविधा क्षेत्र की आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रस्तावित जोन–सी में शैक्षणिक उपयोग हेतु प्राप्त प्रस्ताव जनहित में होने के दृष्टिगत प्रश्नगत भूमि के आधे क्षेत्र को आवासीय, बाग / खुले स्थल / खेल के मैदान से शैक्षणिक (स्कूल प्रयोजनार्थ) संशोधित किया जाकर शेष क्षेत्र का भू–उपयोग मास्टर प्लान के अनुसार रखा जाता है।

उक्त बून्दी मास्टर प्लान–2033 में किये गए संशोधनों का अवलोकन नगर परिषद, बून्दी में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

19/7/2022

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, बून्दी।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त नगर परिषद, बून्दी।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालवी।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय